प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 05/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

जगदीश चन्द्र पिता रामलाल साहु पताः 14/996 ग्लास फैक्ट्री मेन रोड़ उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गोगुन्दा, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13/02/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 13.12.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/05/24/87–88 दिनांक 19.01.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित जवाब की प्रति शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित अपने जवाब जरिये पत्रांक 22–23 दिनांक 07.02.2024 से कार्यालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से संबंधित मूल दस्तावेज पुलिस निरीक्षक (भ्र.नि.ब्यूरों) उदयपुर को भिजवाई गई है, इसलिए प्रतिलिपि देना संभव नहीं है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता एवं अति. जिला कलक्टर कार्यालय से संबंधित होने से उक्त कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया। बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने से सूचना नहीं दी जा सकी। बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता एवं अति. जिला कलक्टर कार्यालय से संबंधित होने से उक्त कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से 4 बिन्दुओं की सूचना मांगी गई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2023 से चाही गई 4 बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को नियमित समयावधी में उपलब्ध नहीं करवाये जाने से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में दिनांक 07.02.2024 को सूचना प्रभारी

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अधिकारी सतर्कता एवं अति. जिला कलक्टर कार्यालय से संबंधित होने से उक्त कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार धारा 5 की उप–धारा (2) के परन्तुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परन्तुक के अधीन रहते हुए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी, धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में, अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, या तो ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये, सूचना देगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को नामंजूर करेगा।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2023 पर निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के प्रथम अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी सतर्कता एवं अति. जिला कलक्टर उदयपुर के कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या 1 से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सकने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती। बिन्दु संख्या 2 से 4 के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गोगुन्दा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना संबंधित लोक प्राधिकारी से प्राप्त कर 21 दिवस में नियमानुसार निशुल्क उपलब्ध कराये एवं भविष्य में भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन/प्राथनों पत्रों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गोगुन्दा, उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर